FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0020 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 01/05/2024 04:07 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	201
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	465
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	471
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Wednesday **Date from (दिनांक से):** 01/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 01/05/2024

Time Period (समय अवधि): Pahar 1 **Time From (समय से):** 02:15 hrs **Time To (समय तक):** 02:25 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/05/2024 **Time (समय):** 02:25 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 008 **Date and Time (दिनांक और समय):** 01/05/2024 04:30 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 130 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): जिला महेन्द्रगढ नारनौल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ISHWER SINGH

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 10/04/1967 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416381286

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अधिकारी कर्मचारी			1. पंचकुला,निदेशालय उच्चतर शिक्षा विभाग, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
2	रोहिताश डिग्री कालेज			1. जिला महेन्द्रगढ नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
3	चेयरमैन रोहिताश सिंह			1. जिला महेन्द्रगढ,रोहिताश मनेजमैंट कॉलेज अटेली, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
4	श्री मति सरती देवी			1. अटेली मण्डी महेन्द्रगढ,एजंकेशनल चैरीटेबल ट्रस्ट रजि0, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
5	अधिकारीकर्मचारी			1. कालेज प्रशासन अटेली महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर ,थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम । विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । श्रीमान जी,निवेदन यह है कि प्रारम्भिक जांच क्रमांक 01 दिनांक 09.06.2022, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 63/24/2022-1 चौ0-1 दिनांक 01.06.2022 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय में दर्ज की गई। इसके उपरान्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला

कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 9258/आई0-2/रा0चौ0ब्यू0 दिनांक 10.06.2022 के अनुसार पडताल हेतु गुरूग्राम मण्डल, में प्राप्त हुई थी। जिसमें निम्नलिखित आरोप की पड़ताल की जानी थी:-

रोहिताश डिग्री कालेज तथा रोहिताश कालेज ऑफ मनेजमैंट, अटेली, महेन्द्रगढ द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के तहत वर्ष 2014-18 में अनुसूचित व पिछडा वर्ग के छात्रों के फर्जी छात्रवृति अवार्ड रोल तैयार करके निदेशालय उच्चतर शिक्षा हरियाणा पंचकूला भेजे गये । निदेशालय उच्चतर शिक्षा हरियाणा पंचकूला की छात्रवृति शाखा में नियुक्त नामालूम अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकार के कुल 10 करोड 35 लाख 17 हजार रूपये का गबन करके वितिय नुकसान पहुचाया है ।

प्रारम्भिक जांच की पडताल में प्राप्त किये गये कथनो, रिकार्ड, SIT की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व पिछडा वर्ग के उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रो के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत वितिय सहायता प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा विभाग छात्रों द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जांच, वास्तविक लाभार्थी के दावे को मंजूरी देने और कला, विज्ञान, वाणिज्य और प्रबन्धन में स्नातक व स्नातकोत्तर पाढ्यक्रमों के मामले में छात्रवृत्रि भुगतान करने के लिए जिम्मेवार है। उच्च शिक्षा विभाग प्रत्येक छात्र के लिए प़ीएमएस भुगतान दो हिस्सों में (1) कालेज/सस्थान को सीधे प्रबन्धन शेयर (फीस) के रूप में (2) आधार संख्या से जुडे छात्रों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से छात्रों को रखरखाव भत्ता का भुगतान किया जाता है।

चेयरमैन रोहिताश ने श्री मति सरती देवी एजुकेशनल चैरीटेबल ट्रस्ट(रजि0) अटेली मण्डी महेन्द्रगढ के माध्यम से रोहिताश डिग्री कॉलेज व रोहिताश इंस्टीटयूट ऑफ मनेजमैंट, अटेली के नाम से अटेली जिला महेन्द्रगढ में कॉलेज खोले हुये है । रोहिताश डिग्री कॉलेज में BA, BSC, B.com, MA, MSC, M.Com के कोर्स के छात्रों का दाखिला किया जाता है व रोहिताश इंस्टीटयूट ऑफ मनेजमैंट, अटेली में मनेजमैंट से सम्बन्धित कोर्स MBA and MCA के दाखिले किये जाते है। रोहिताश डिग्री कॉलेज व रोहिताश इंस्टीटयूट ऑफ मनेजमैंट, अटेली की वर्ष 2014 से 2017 तक महर्षि दयानन्द विशवविद्यालय रोहतक से व वर्ष 2017-18 तक इंदिरा गॉधी विशवविद्यालय मीरपुर जिला रेवाडी से मान्यता ली हुई थी।

रोहिताश डिग्री कॉलेज व रोहिताश इंस्टीटयूट ऑफ मनेजमैंट द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के तहत वर्ष 2014-18 में अनुसूचित जाति/पिछडा वर्गके छात्रों के छात्रवृति अवार्ड रोल तैयार करके उच्च शिक्षा निदेशालय हरियाणा पंचकूला भेजे गये। जिनका प्रबन्धन हिस्सा (Management Share)10,35,00,000/-रूपये उच्च शिक्षा निदेशालय की छात्रवृति शाखा ने रोहिताश डिग्री कॉलेज व रोहिताश इंस्टीटयूट ऑफ मनेजमैंट के खाते में डाले गये है।

जब इस बात की भनक निदेशालय, उच्चतर शिक्षा पंचकुला में तैनात कुलदीप सिंह, उप निदेशक, छात्रवृति शाखा को दिनांक 20.06.2018 को लगी तब रोहिताश डिग्री कॉलेज व रोहिताश इंस्टीटयूट ऑफ मनेजमैंट द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के तहत वर्ष 2014-18 में अनुसूचित जाति/पिछडा वर्गके छात्रों की छात्रवृति का भुगतान होने के बाद निदेशालय उच्चतर शिक्षा पंचकूला द्वारा छात्रवृति स्कीम की जांच विशेष जांच दल (SIT) गठित करके जांच करवाई गई। उच्चतर शिक्षा विभाग पंचकूला की विभागीय SIT व प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ की लेखापरीक्षा रिपोर्ट अवधि 04/2014 से 03/2018 तक के अनुसार निदेशालय उच्चतर शिक्षा हरियाणा पंचकूला की छात्रवृति शाखा द्वारा कैश बुक तैयार करते समय उसमें ठीक प्रकार से प्रविष्टि नहीं की गई। कैश बुक की प्रविष्टियों में जिस कॉलेज को भुगतान किया गया है उस कॉलेज का नाम उसके आगे नहीं दर्शाया गया है। कैश बुक में की गई प्रविष्टियों के अनुसार बिल/वाउचर (कॉलेजों के अवार्ड रोल) भी नहीं दर्शाये गये है। लेखापरीक्षा (Audit) के दौरान अव्यवस्थित कैश बुक, अभिलेखों (रिकार्ड) के कारण छात्रवृति शाखा द्वारा किये गये सभी भुगतानों को संकलित करने और किस कॉलेज व किस छात्र के लिए कितना भुगतान किया गया का पता लगाना अंसभव बना दिया। लेखा परीक्षा के दौरान छात्रवृति शाखा ने पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के भुगतान के लिए अनिवार्य दस्तावेज छात्रों के जाति प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अजीब दस्तावेज, बीपीएल दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र के रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाये।

दिनांक 26.07.2018 को रोहिताश सिंह यादव ने थाना अटेली हाजिर आकर एक दरखास्त रोहिताश कॉलेज में आग लगने की सूचना बारे प्रबन्धक थाना अटेली को पेश की। आगजनी में Rohitash International Sen. Sec. School Rohitash Institute of Mangement , Rohitash Polytechnic and Rohitash Degree Collage का पुराना रिकार्ड सत्र 2017-18 तक जल गया व रिकार्ड के सिवाय कोई जान माल की हानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शार्ट

सर्किट था। रोहिताश कॉलेज में आग लगने के सम्बन्ध में थाना अटेली के रोजनामचा में DDR नम्बर 21 दिंनाक 26.07.2018 को अंकित की गई। आगजनी की तसदीक प्र0सि0 सुखवीर थाना अटेली ने करके थाना के रोजनामचा में DDR नम्बर 23 दिंनाक 26.07.2018 अंकित की। यहां यह बात विचारणीय है कि जिस समय आगजनी की घटना बताई गई है, उस समय Audit द्वारा इसी मामले से सम्बन्धित खाते खंगाले जा रहे थे। अतः यह भी कहा जा सकता है कि यह आग जानबूझकर साक्ष्य नष्ट करने के लिए लगाई गई थी।

लेखा परीक्षण रिपोर्ट व SIT की रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि माह 04/2014 से 03/2018 तक की अवधि में रोहिताश डिग्री व मनेजमैंट कॉलेज अटेली के कुल 3680 अनुसूचित जाति/ पिछडा वर्ग व अन्य वर्ग के छात्रों का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशीप स्कीम के तहत छात्रवृति आवार्ड रोल भेजे गये जिनमें से 2549 छात्रों का विशवविद्यालयों द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया और 304 अनुसुचित जाति/पिछडा वर्ग के छात्रों के छात्रवृति आवार्ड भेजे गये वे सामान्य श्रेणी के पाये गये। 550 छात्रों के अन्य विवरण जिनके लिए उक्त कॉलेजों को 1.77 करोड रूपये का भुगतान किया गया। विशवविद्यालय के पंजीकरण डाटा के साथ मेल खाते थे, लेकिन इन सभी 550 छात्रों के छात्रवृति आवार्ड रोल में दर्शाये गये पाठ्यक्रम व विशवविद्यालयों के डाटा में लिखे गये पाठयक्रम के साथ मेल नहीं खाते थे। केवल 277 छात्रों का विवरण, जिनके लिए उक्त कॉलेजों को 7.98 लाख रूपये छात्रवृति का भुगतान किया गया था, विशवविद्यालय पंजीकरण डाटा के साथ मेल खाते थे।

रोहिताश डिग्री कॉलेज, अटेली और रोहिताश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अटेली के 1342 छात्रों के लिए 65.16 लाख की राशि के भरण-पोषण भत्ता के डीबीटी लेनदेन विफल होने के बाद भी उच्चतर शिक्षा विभाग की छात्रवृति शाखा नें छात्रों के भरण-पोषण भत्ता की राशि का भुगतान कॉलेजो को किया गया है।

छात्रों की छात्रवृति की भरण-पोषण की राशि बार-2 उनके खातो में डालने के बाद भी उनके खातो में जमा नही हो रही थी, उस समय छात्रवृति शाखा ने डीबीटी लेनदेन असफल होने के बाद अवितरित धनराशि को वापिस विभाग के खाता में जमा करवाया जाना चाहिए था। परन्तु तीन असफल प्रयासों के बाद उक्त राशि वित्त विभाग के आदेशानुसार विभाग के खाता में जमा नही करवाई गई। वित्त विभाग के आदेशो की उल्लंघना करते हुए निदेशालय उच्चतर शिक्षा विभाग की छात्रवृति शाखा के नामालूम अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रोहिताश डिग्री कालेज, रोहिताश मनेजमैंट कॉलेज अटेली के चेयरमैन रोहिताश सिंह, श्री मति सरती देवी एजुंकेशनल चैरीटेबल ट्रस्ट (रजि0) अटेली मण्डी महेन्द्रगढ व कालेज प्रशासन के अधिकारियो / कर्मचारियों से मिली भगत करके तथा अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ उक्त राशि का भुगतान कॉलेजों को ही करके राशि का गबन किया है। जबकि DBT ट्रांसफर विफल होने के बाद विभाग को इन छात्रों के विरूद्ध कलेम पर सतर्क हो जाना चाहिए था तथा इन्ही छात्रों की फीस (Management share) की भी जांच करनी चाहिए थी।

प्रारम्भिंक जांच की पडताल के दौरान तत्कालीन जांच अधिकारी द्वारा निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा पंचकुला को आरोप के सम्बन्ध में वाछिंत रिकार्ड प्राप्त करने के लिए दिनांक 26.08.2022 को पत्राचार किया गया। उक्त पत्राचार के सम्बन्ध में निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 03/36-2018 Sch(2) दिनांक 08.09.2022 के अनुसार वाछिंत रिकार्ड रिकार्ड/रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त शुदा रिकार्ड/रिपोर्ट के अवलोकन से रिकार्ड बेतरतीब/अधूरा पाया गया। जिस पर मन निरीक्षक जांच अधिकारी द्वारा निदेशालय उच्चतर शिक्षा विभाग, पंचकुला की छात्रवृति शाखा में दिनांक 27.12.2023 को स्वंय जाकर प्राप्त शुदा बेतरतीब/अधूरा रिकार्ड को समझने के प्रयास किये गये। परन्तु छात्रवृति शाखा में नियुक्त उप निदेशक व अन्य सम्बन्धित सहायको/लिपिक भी उक्त बेतरतीब/अधूरा रिकार्ड को तरतीब से करने में असमर्थ रहे। इसके अतिरिक्त मन निरीक्षक जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 11.01.2024 को जांच में वाछिंत रिकार्ड के सम्बन्ध में प्राधानाचार्य, रोहिताश मैनेजमैन्ट कॉलेज व रोहिताश डिग्री कॉलेज को पत्राचार किया गया। जिस सम्बन्ध में दिनांक 11.01.2024 को पत्राचार के माध्यम से कार्यालय प्राधानाचार्य, रोहिताश मैनेजमैन्ट कॉलेज व रोहिताश डिग्री कॉलेज द्वारा आगजनी में वाछिंत रिकार्ड जलने का बहाना बनाकर जानबूझकर उपलब्ध नही करवाया गया। इसके अतिरिक्त मन निरीक्षक जांच अधिकारी द्वारा दूरभाष के माध्यम से भी उक्त कालेजो के चेयरमैन रोहिताश से वाछिंत रिकार्ड उपलब्ध करवाने बारे बातचीत की गई, परन्तु रोहिताश ने भी कहा कि " उसके कॉलेजो का रिकार्ड आगजनी में जल चुका है "। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कालेजो के चेयरमैन रोहिताश द्वारा गबन को छिपाने के लिए जांच में वाछिंत रिकार्ड उपलब्ध नही करवाया गया और ना ही जांच में सहयोग किया गया।

सत्र वर्ष 2016-17 में रोहताश डिग्री कॉलेज व रोहताश मैनेजमैन्ट कॉलेज ने अनुसूचित जाति व अन्य पिछडा वर्ग के छात्रो के फर्जी छात्रवृति अवार्ड रोल तैयार करके उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा की छात्रवृति शाखा में भेजने पाये गये है। रोहताश डिग्री कॉलेज व रोहताश मैनेजमैन्ट कॉलेज द्वारा अनुसूचित जाति व अन्य पिछडा वर्ग के छात्रो के भेजे गये छात्रवृति, अवार्ड रोलो की तसदीक उच्चतर शिक्षा विभाग की छात्रवृति शाखा द्वारा की जानी थी। छात्रो की छात्रवृति अवार्ड रोल की तसदीक करने उपरान्त ही इन छात्रो की छात्रवृति राशि मन्जूर की जानी चाहिए थी। परन्तू वर्ष 2016-17 में उच्चतर शिक्षा विभाग की छात्रवृति शाखा में नियुक्त अधिकारियो/कर्मचारियो ने अपने पद का दुरूप्योग करते हुए रोहताश डिग्री कॉलेज व रोहताश मैनेजमैन्ट कॉलेज से मिलीभगत करके फर्जी छात्रो के छात्रवृति अवार्ड रोलो को तसदीक किये बिना उनकी राशि मन्जूर करके सीधे उपरोक्त दोनों कॉलेजो के खातो में डालकर धारा 409, 420, 465, 467, 471, 201 व 120बी0 भा0द0स0 व 13 पी0सी0 एक्ट (Before amendment) के अन्तर्गत अपराध किया है। निदेशालय उच्चतर शिक्षा विभाग की छात्रवृति शाखा के नामालूम अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रोहिताश डिग्री कालेज, रोहिताश मनेजमैंट कॉलेज अटेली के चेयरमैन रोहिताश सिंह, श्री मति सरती देवी एजंकेशनल चैरीटेबल ट्रस्ट (रजि0) अटेली मण्डी महेन्द्रगढ व कालेज प्रशासन के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ के अन्र्तगत अभियोंग दर्ज किए जाने की अनुसंशा की जाकर जॉच अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम के माध्यम से उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 730/भ्र0नि0ब्यू0/गुरूग्राम दिनांक 02.02.2024 के अनुसार श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला को भेजी गई थी। श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 6082/आई0-2 दिनांक 20.02.2024 के अनुसार प्रारम्भिक जॉच की अन्तिम रिपोर्ट अनुमोदित होकर प्राप्त हुई है। उपरोक्त आरोपियो का कृत्य Ex-Facie Criminal Nature का है जिसके लिये मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 4/2/2021-1 VII दिनांक 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः वर्ष 2016-17 के सत्र की ड्राफ्ट तहरीर अनुमोदन हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1918 /ACB/GGM दिनांक 8.04.2024 के अनुसार भेजी गई थी श्री मान अपर महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय क्रमांक 8787/I-2/ACB(H) दिनांक 10.04.2024 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होने उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है। आज मै हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम हुँ । निदेशालय उच्चतर शिक्षा विभाग की छात्रवृति शाखा के नामालूम अधिकारियों/कर्मचारियों, रोहिताश डिग्री कालेज, रोहिताश मनेजमैंट कॉलेज अटेली के चेयरमैन रोहिताश सिंह, श्री मति सरती देवी एजुंकेशनल चैरीटेबल ट्रस्ट (रजि0) अटेली मण्डी महेन्द्रगढ व कालेज प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध धारा 409,420,465,467,471,201,120बी भा0द0स0 व 13 पी0सी अधिनियम 1988 के अन्र्तगत अभियोग दर्ज करने हेतू तहरीर तैयार करके प्रधान सिपाही मंजीत सिह न0 598/दादरी के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूगाम भेजी जा रही है। अभियोग दर्ज करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे। अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक राजकरण के पास भिजवाई जावे। ईशवर सिह निरीक्षक ईशवर सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम। दिनांक 1/5/2024 समय - 2.15 AM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जा रही है । और एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल को भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले प्रधान सिपाही मंजीत सिह न0 598/दादरी के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु नि0 राजकरण के पास भिजवाई जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):**   /   **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** RAJ KARAN **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 130NNL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	**Sex (लिंग)**	**Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)**	**Build (बनावट)**	**Height (cms) (कद (से.मी.))**	**Complexion (रंग)**	**Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1969				**Is pox pitted:** Yes

3	Male	01/01/1969				**Is pox pitted:** Yes
4	Female	01/01/1972				**Is pox pitted:** Yes
5	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)